



संख्या-11/2024-77-1002(001)/1/2021/001-181

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक 16/03/2024

विषय:- उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर की बन्द कताई मिल्सों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्टिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर की बन्द कताई मिल्सों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्टिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु धनराशि ₹ 5,19,85,000.00 (₹ पांच करोड़ उन्तीस लाख पचासी हजार मात्र) का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि में से शासनादेश संख्या-11/2023/77-1002(001)/1/2021/001-920 दिनांक 15.06.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में ₹ 1,29,75,000.00 (₹ एक करोड़ उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या-22/2023/77-1002(001)/1/2021/001-1923 दिनांक 15.12.2023 द्वारा ₹ 1,29,75,000.00 (₹ एक करोड़ उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। सम्प्रति ₹ 2,60,35,000/- (₹ दो करोड़ साठ लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि में से वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1 उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में जारी निर्देशों के अनुसरण में धनराशि ₹ 1,29,75,000.00 (₹ एक करोड़ उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर के होल्टिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष 2023-24 में उक्त स्वीकृत धनराशि ₹ 1,29,75,000.00 (₹ एक करोड़ उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा आहरित कर उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात् इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी, बशर्ते कोई वित्त न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वित्त होने पर निर्धारित 14 (चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
 4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
 5. कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व निर्गत किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिया जाए, तभी अगली किश्त का आहरण राजकोष से किया जाएगा।
 6. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
 7. स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2024 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को भेजी जाए।
 8. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर के लेखा कोषक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगे।
 9. उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें:-
(क)- कोषागार का नाम।
(ख)- चालान संख्या व दिनांक।
(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।
(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
(च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ
 10. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।
 11. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
 12. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,29,75,000.00 (रु० एक करोड़ उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6860011900600** उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ को कर्ज **मानक मद 30** निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-6-278-X-2023-24 दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भवदीय,
(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-11(1)/2024-77-1002(001)/1/2021/001-181, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (प्रथम) उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
5. वित्त अधिकारी, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०, कानपुर।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4, उ०प्र० शासन।
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।